न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 117/2025

उनवान

तहसीलदार, तहसील कार्यालय गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

आशा यादव पत्नि दिलीप यादव जाति चमार निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

निर्णय 27.11.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढी की खाता संख्या 650 नया, 599 पुराना के खसरा संख्या 3518 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3520 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3522 रकबा 0.22 हे0 भूमि अप्रार्थी आशा यादव पत्नि दिलीप यादव जाति चमार निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3518 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3520 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3522 रकबा 0.22 हे0 भूमि पूर्व में खातेदार शीतल पत्नि नारायण जाति यादव निवासी नोलीवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड था। जो जरिये बैचान पत्र से नामान्तरण संख्या 1689 दिनांक 14.9.2021 व नामान्तरण संख्या 1733 दिनांक 10/02/2022 द्वारा अप्रार्थी आशा यादव पत्नि दिलीप यादव जाति निवासी रैयाना तहसील अरथूना के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। वादग्रस्त खसरा संख्या 3518 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3520 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3522 रकबा 0.22 हे0 भूमि बिना किसी सम्परिवर्तन आदेश के दिनांक 20.1.2023 को नामान्तरण संख्या 1813 द्वारा किस्म आबादी दर्ज रिकार्ड हो गई है। जिसे सही कर पुनः पूर्ववत किस्म भूरी प्रथम दर्ज किया जाना आवश्यक है। तहसील कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/557 दिनांक 29.7.2025 द्वारा अप्रार्थीया आशा पत्नि दिलीप कुमार यादव जाति चमार निवासी रैयाना को नोटिस जारी कर नामान्तकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया परन्तु अप्रार्थीया कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। और ना ही जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/845 दिनांक 21.11.2025 द्वारा अप्रार्थीया को पुनः नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीया ने दिनांक 24.1[illegible] कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम [illegible] में [illegible] खाते की भूमि खाता संख्या 650 खसरा न. 3518, 352[illegible] रकबा [illegible] हे., 0.05 हे., 0.22 हे. भूमि का कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु तत्कालीन पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु आज दिनांक तक आवासीय आबादी रूपान्तरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ। तहसील कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/842 दिनांक 21.11.2025 द्वारा भू.अ.नि. गढ़ी को पत्र जारी कर उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु नामन्तकरण पंजिका व ऑनलाईन रेकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। भू.अ.नि. गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त खाते में जरिये नामान्तकरण संख्या 1813 दिनांक 20.01.2023 के तहत ग्राम गढ़ी में खाता संख्या 650 रकबा 0.32 हे. कुल किता 3 में रूपान्तरण का नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमें से आ.न. 3518, 3520, 3522 रकबा क्रमशः 0.05 हे., 0.05 हे., 0.22 हे. भूमि किस्म आवासीय आबादी दर्ज हुआ व उक्त नामान्तकरण बिना किसी संपरिवर्तन आदेश से दर्ज हुआ है व न ही किसी प्रकार का रूपान्तरण आदेश जारी हुआ है। नामान्तकरण की प्रति निकालने पर नामानतकरण की प्रति व अपलोड दस्तावेज के रूप में खाली कागज संलग्न किये गये है। उक्त नामान्तकरण नामान्तकरण पंजिका में दर्ज नहीं है। ना.स. 1813 दिनांक 20.01.2023 रूपान्तकरण का नामान्तकरण अपना खाता में Show नही हो रहा है। नामान्तकरण की जगह Blank बता रहा है। उक्त नामान्तकरण विधि सम्मत नहीं होकर गलत नामान्तकरण दर्ज किया होना बताया। तहसीलदार कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक 847 दिनांक 21.11.2025 द्वारा श्री उमंग रावल राजस्व लिपिक (कनिष्ठ सहायक) तहसील कार्यालय गढ़ी को पत्र जारी कर उक्त भूमि के कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण के संबंध में कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है अथवा नहीं कि जांच हेतु लिया गया। श्री उमंग रावल राजस्व लिपिक (कनिष्ठ सहायक) तहसील कार्यालय गढ़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार तहसील कार्यालय गढ़ी से उक्त भूमि के कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु आदेश जारी नहीं होना बताया। उपरोक्त वर्णित भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाये जमाबंदी में किस्म आवासीय आबादी दर्ज हुआ है जिससे राजकीय क्षति होने से पूर्व कि स्थिति किस्म भूरी प्रथम यथावत करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थीया स्वयं ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गढ़ी में अपने खाते की भूमि खाता संख्या 650 नया, 599 पुराना के खसरा संख्या 3518 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3520 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3522 रकबा 0.22 हे0 भूमि का कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु तत्कालीन पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु आज दिनांक तक आवासीय आबादी रूपान्तरण आदेश प्राप्त नहीं होना बताया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दजस्तावेजो एवं अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजो एवं जवाब से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का बिना किसी सम्परिवर्तन आदेश के कृषि से अकृषि (आवासीय आबादी) दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है। जिसे सही कर पुनः कृषि (भूरी प्रथम) दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढी की खाता संख्या 650 नया, 599 पुराना के खसरा संख्या 3518 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3520 रकबा 0.05 हे0, खसरा संख्या 3522 रकबा 0.22 हे0 भूमि की किस्म आवासीय आबादी से कृषि (भूरी प्रथम) दर्ज किये जाने के आदेश दि[illegible] गढ़ी को भिजवाई जाती है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को [illegible] गया।

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Scanned with OKEN Scanner